FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0073 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 27/03/2025 16:43 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 11/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 25/03/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:50 बजे **Time To (समय तक):** 14:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/03/2025 **Time (समय):** 14:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 27/03/2025 16:43:05 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 03 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** KARYALYA JILA PARIVIKSHA AVM SAMAJKALYAN VIBHAG, DHOLPUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SUKHRAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** GOKUL SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1996 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM KAULUA KA PURA, KOALARI, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM KAULUA KA PURA, KOALARI, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SHAILENDRA SINGH		पिता:DHARAM SINGH	1. JAGADAMBA COLONY SAIPAU,DHOLPUR,RAJASTHAN,INDIA
2	ABHISHEK SHARMA		पिता:GIVIND SHARMA	1. BAJARIYA ROAD,NIHALGANJ,DHOLPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 1,500.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर, विषयः-रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने बावत, महोदय, निवेदन है कि मै सुखराम पुत्र श्री गोकुल सिह जाति कुशवाह उम्र 29 साल निवासी कौलुआ का पुरा पुलिस थाना कौलारी जिला धौलपुर का रहने वाला हूं। मैने समाज कल्याण विभाग में दिव्यांगजन स्कूटी योजना में करीब 4 महीने पहले आवेदन किया था, मुझे समाज कल्याण विभाग से योजना अन्तर्गत ट्राई स्कूटी मिली थी, स्कूटी के कागजात मुझे नही दिये गये थे, समाज कल्याण विभाग में पदस्थापित श्री शैलेन्द्र सिह व अभिषेक शर्मा बाबू स्कूटी के कागजात देने की एवज में 2,000/-रू रिश्वत राशि की मांग कर रहे है, अभिषेक शर्मा बाबू ने मुझसे 500/-रू ले लिए है और अब मुझसे 1500/-रू रिश्वत मांग रहे है। मैं श्री शैलेन्द्र सिह व श्री अभिषेक शर्मा बाबू को रिश्वत देना नही चाहता हूं। मेरी उनसे कोई पुरानी रंजिश नही है और नाही मेरा कोई उनसे रूपयो का लेन-देन बकाया है। प्रार्थी एसडी सुखराम पुत्र गोकुल सिह जाति कुशवाह उम्र 29 साल निवासी कौलुआ का पुरा पुलिस थाना कौलारी जिला धौलपुर मो. [redacted] दिनांक 11.03.2025 एसडी सुरेन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस दिनांक 11.03.25 एसडी दानवीर सिह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, दिनांक 25.03.2025 एसडी रविन्द्र सिह, वरिष्ठ सहायक दिनांक 25.03.2025 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 11.03.2025 समय 12.50 पी.एम पर परिवादी श्री सुखराम पुत्र श्री गोकुल सिह जाति कुशवाह उम्र 29 साल निवासी कौलुआ का पुरा पुलिस थाना कौलारी जिला धौलपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक हस्त लिखित रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर के पदनाम संबोधित करते हुये मन् उप अधीक्षक पुलिस सुरेन्द्र सिह को इस आशय की पेश की मै सुखराम पुत्र श्री गोकुल सिह जाति कुशवाह उम्र 29 साल निवासी कौलुआ का पुरा पुलिस थाना कौलारी जिला धौलपुर का निवासी हूं मैने समाज कल्याण विभाग में दिव्यांगजन स्कूटी योजना में करीब चार महीने पहले आवेदन किया था, मुझे समाज कल्याण से सरकारी योजना के अन्तर्गत ट्राई स्कूटी मिली थी स्कूटी के कागजात मुझे धौलपुर समाज कल्याण विभाग ने नही दिये थे, समाज कल्याण विभाग धौलपुर में पदस्थापित श्री शैलेन्द्र सिह व अभिषेक शर्मा, बाबू स्कूटी के कागजात देने की एवज में 2,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे है, अभिषेक शर्मा ने मुझसे 500/- रू ले लिये है, और अब मुझसे 1500/- रू रिश्वत और मांग रहे है, मैं श्री शैलेन्द्र सिह व अभिषेक शर्मा बाबू को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं मै उनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं, मेरी उनसे कोई पुरानी रंजिश नही है और नाही कोई रूपयो का लेन-देन है। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीर रिपोर्ट मेरी हस्तलिखित है। लिखित रिपोर्ट एवं पूछताछ से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है फिर भी विभागीय प्रक्रिया अनुसार रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। गोपनीय सत्यापन से जैसी स्थिति होगी अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। इसके बाद समय 01.15 पी.एम पर गवाह श्री योगेश सिह कानि. 88 व श्री मनोज कुमार कानि. 179 के समक्ष रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर कार्यालय आलमारी से निकालकर मय खाली मैमोरी कार्ड सहित विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू एवं बन्द करने की विधि परिवादी श्री सुखराम को समझाकर कर श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 को सुपुर्द कर हिदायत दी कि उक्त विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को परिवादी को आरोपीगण के पास भेजने से पूर्व अपना परिचय देकर सुपुर्द कर बाद रिश्वत मांग सत्यापन विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी से प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित हालात में कार्यालय में लाकर पेश करे। विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुचारू रूप से सही कार्य कर रहा है डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में पूर्व से कोई रिकॉडिंग नही है। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 02.30 पी.एम पर गवाह श्री योगेश सिह कानि. 88 व श्री मनोज कुमार कानि. 179 के समक्ष परिवादी श्री सुखराम की मौजूदगी में श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 ने जरिये फर्द सुपुर्द शुदा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मांगने पर अपने पास से निकालकर पेश किया, जिसमें रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर सुना गया जिसमें रिश्वत मांग की वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं व श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर से रवाना होकर कार्यालय समाज कल्याण विभाग धौलपुर के पास पहुँचे जहां पर मैने इन्द्रजीत सिह हैड कानि. से विभागीय वॉइस

रिकॉर्डर प्राप्त करके कार्यालय समाज कल्याण विभाग धौलपुर में जाकर आरोपीगण श्री शैलेन्द्र सिह व श्री अभिषेक शर्मा, बाबू के पास गया जहां आरोपीगण ने समाज कल्याण की योजना के अन्तर्गत मुझे मिली स्कूटी के कागजात देने की एवज में 15,00/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे है, इसके बाद मैने विभागीय वॉईस रिकॉर्डर को इन्द्रजीत हैड कानि. को सुपुर्द कर दिया जिन्होने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया इसके बाद वहां से रवाना होकर हम एसीबी चौकी धौलपुर आ गये । परिवादी के उक्त कथनों की पुष्टि श्री इन्द्रजीत हैड कानि. द्वारा की गई। इसके बाद डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। इसके बाद समय 03.00 पी.एम पर परिवादी श्री सुखराम ने बताया कि मुझे आवश्यक कार्य होने के कारण मुझे घर पर जाना आवश्यक है अतः आज कार्यवाही करवाया जाना असंभव है मैं आईन्दा कार्यालय में उपस्थित हो जाऊगा इस परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूखस्त किया गया। दिनांक 24.03.2025 समय 04.00 पी.एम पर परिवादी श्री सुखराम कार्यालय उपस्थित हुआ जिसे हिदायत कर कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 04.15 पी.एम पर टेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह तलबी बाबत जिला उद्योग अधिकारी जिला धौलपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 को स्वतंत्र गवाह लेकर आने हेतु कार्यालय जिला उद्योग अधिकारी धौलपुर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 05.15 पी.एम पर समय श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा वापस आया और बताया कि कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय जिला उद्योग अधिकारी धौलपुर पहुंचा जहां प्रार्थना-पत्र पेश किया जिन्होने बताया कि आज कार्मिक उपस्थित नहीं है। अतः कल प्रातः भिजवा दिया जावेगा। समय 05.30 पी.एम पर परिवादी श्री सुखराम ने बताया कि अभी मेरे पास आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि का इन्तजाम नही है मै कल प्राप्त राशि का इन्तजाम कर कार्यालय में उपस्थित हो जाऊगा इस पर परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। दिनांक 25.03.2025 समय 10.15 ए.एम पर समय पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री सुखराम कार्यालय उपस्थित हुआ। आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि को 1500/-रूपये रिश्वत मांग सत्यापन से स्पष्ट है जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री सुखराम से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1500/-रूपये के संबंध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1500/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा का इन्तजाम है जो अभी मेरे उपलब्ध है। परिवादी को हिदायत कर कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 10.20 ए.एम पर कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, धौलपुर से दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित आये जिनको मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देते हुये उनका नाम पता पूछा तो क्रमशः अपने नाम श्री दानवीर सिह पुत्र श्री भगवान सिह छाबडी जाति गुर्जर उम्र 54 साल निवासी ग्राम सैह पोस्ट बाबैन पुलिस थाना कुम्हेर जिला डीग हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, धौलपुर। मो.नं.-[redacted] व श्री रविन्द्र सिह पुत्र श्री अतर सिह जाति जाटव उम्र 37 साल निवासी सुन्दर कॉलोनी, मिडवे के सामने जी.टी. रोड़ धौलपुर पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, धौलपुर। मो.नं.-[redacted] जिनसे गोपनीय टेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने बाबत सहमति चाही तो उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी लिखित सहमति दी, तत्पश्चात् दोनों गवाहान का उपस्थित परिवादी श्री सुखराम से आपस में एक-दूसरे से परिचय करवाया गया तथा दोनो गवाहान को परिवादी श्री सुखराम द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 11.03.2025 दिखाया जाकर पढवाया गया तथा परिवादी से वार्ता कराई गई तथा परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर दिनांक संहित अंकित करवाये गये। समय 10.35 ए.एम पर विभागीय वाईस रिकार्डर को लैपटॉप कम्प्यूटर में कनेक्ट किया जाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को विभागीय लैपटॉप कम्प्यूटर से टेबिल स्पीकर को कनेक्ट किया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी श्री सुखराम व गवाहान श्री दानवीर सिह सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, धौलपुर व श्री रविन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, धौलपुर की उपस्थिति में टेबिल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ-पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट वार्ता एवं शुद्ध हिन्दी रूपान्तरण तैयार की गई तथा उक्त रिकॉर्ड वार्ता की मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय हेतु एवं तीन सीडीयां क्रमशः दो मुलजिम प्रति एवं आईओ प्रति तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड व दो मुलजिम सी.डी को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जरिये फर्द जप्त किया गया। सील्ड शुदा मैमोरी कार्ड को मार्क M व सील्ड शुदा सीडीयों पर मार्क A अंकित किया रिकॉर्ड वार्ता की हैश वैल्यु निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा आईओ प्रति सीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं रिश्वत मांग सत्यापन तैयार फर्द ट्रासक्रिप्ट से श्री शैलेन्द्र सिह व श्री अभिषेक शर्मा, बाबू कार्यालय समाज कल्याण विभाग धौलपुर द्वारा परिवादी को समाज कल्याण सरकारी योजना के अन्तर्गत मिली ट्राई स्कूटी के कागजात देने की एवज में 15,00/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं रिश्वत लेने पर सहमत होना धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दण्डनीय अपराध होने से नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। फर्द पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। सील्ड मैमोरी कार्ड व मुल्जिम सीडीयों को

मालखाना प्रभारी श्रीकान्त हैड कानि. 72 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात समय 12.50 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री सुखराम पुत्र श्री गोकुल सिह जाति कुशवाह उम्र 29 साल निवासी कौलुआ का पुरा पुलिस थाना कौलारी जिला धौलपुर से आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से पॉच-पॉच सौ रूपये के कुल 03 (तीन) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल रकम मूल्य 1500/- (पन्द्रह सौ) रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः- 01. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 PE 208321, 02. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 NG 181341, 03. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 LS 234944। पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्रीकान्त हैड कानि. 72 प्रभारी मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री सुखराम की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री दानवीर सिह सहायक प्रशासनिक अधिकारी से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 1500/- (पन्द्रह सौ) रूपये के नोटों को श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि0 67 से परिवादी की पहनी हुई शर्ट बायी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपीगण से अभिवादन के समय हाथ नही मिलावे एवं आरोपीगण द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपीगण रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखते है इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपीगण द्वारा राशि प्राप्त कर लेने के बाद नियत ईशारा अथवा मोबाईल से मिसकॉल देकर अवगत करावे, उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री रविन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाली श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों स्वतत्र गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 के माध्यम से मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी एवं समस्त टे्प पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर टे्प बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया एसडी कार्ड डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये विभागीय वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर दुरूस्त हालात में कार्य कर रहा है व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में पूर्व से कोई रिकॉडिंग नही है। श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 को बाद हिदायत कार्यालय में ही छोडा गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट पाऊडर रसायनिक प्रतिक्रिया पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 01.20 पी.एम पर परिवादी श्री सुखराम को परिवादी की निजी ट्राई स्कूटी व श्री योगेश सिंह कानि. 88, श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 को श्री योगेश सिह कानि. 88 की निजी मोटरसाईकिल से कार्यालय समाज कल्याण विभाग धौलपुर वास्ते टे्प कार्यवाही रवाना कर उनके पीछे-पीछे श्रीकान्त हैड कानि. 72, व रविन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक को श्रीकान्त हैड कानि. की निजी मोटरसाइकिल से उनके पीछे-पीछे श्री मनोज कुमार कानि. 179 व श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक को प्राईवेट मोटरसाइकिल से कार्यालय समाज कल्याण विभाग धौलपुर वास्ते टे्प कार्यवाही रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री दानवीर सिह सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय सरकारी वाहन मय चालक मय सरकारी लेपटॉप, प्रिटंर, की-बोर्ड, माउस, टेबिल स्पीकर, मय विभागीय विडियों कैमरा एवं ट्रेप बॉक्स के कार्यालय समाज कल्याण विभाग धौलपुर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। इसके बाद समय 01.30 पी. एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा कार्यालय समाज कल्याण विभाग धौलपुर के पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को आरोपीगण से मिलने कार्यालय समाज कल्याण विभाग धौलपुर के लिये रवाना किया जाकर परिवादी के हमराह श्री योगेश सिह कानि. 88, व इनके पीछे पीछे श्री इन्द्रजीत सिंह हैड कानि. 71 को रवाना किया गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष टे्प पार्टी सदस्यों के कार्यालय समाज कल्याण विभाग के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए

खडा हो गया परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के मुर्करर ईशारे का इंतजार किया। तत्पश्चात समय 02.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहन के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस सुरेन्द्र सिंह को परिवादी श्री सुखराम के नियत इशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के कार्यालय समाज कल्याण विभाग धौलपुर पर पहुंचा जहां परिवादी सुखराम उपस्थित मिला जिससे पूर्व में सुपुर्दशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द किया जाकर सुरक्षित रखा। परिवादी श्री सुखराम ने अपने पास में बैठे हुये दो व्यक्तियों की तरफ इशारा कर बताया कि यही शैलेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक व अभिषेक शर्मा कनिष्ठ सहायक कार्यालय समाज कल्याण विभाग धौलपुर जिन्होने समाज कल्याण सरकारी योजना के अन्तर्गत मुझे मिली ट्राई स्कूटी के कागजात देने की एवज मुझसे रिश्वत की मांग की थी उस रिश्वत मांग के क्रम आज दिनांक 25.03.2025 शैलेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक ने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रकम 1500/-रूपये पांच-पांच सौ रूपये भारतीय चलन मुद्रा के कुल 03 नोट मुझसे इ्ंईशारा कर अपनी टेबिल पर रखी डायरी में रखवाये गये है इस पर पास बैठे व्यक्तियों को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो पहले अपना नाम पता श्री शैलेन्द्र सिह पुत्र श्री धर्म सिह जाति ठाकुर उम्र 33 साल निवासी जगदम्बा कॉलोनी सैपऊ पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक समाज कल्याण विभाग धौलपुर व दूसरे ने अपना नाम पता श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री गोविन्द शर्मा उम्र 39 साल निवासी बजरिया रोड पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल कनिष्ठ सहायक समाज कल्याण विभाग धौलपुर होना बताया आरोपी शैलेन्द्र सिह से उक्त रिश्वत राशि प्राप्त करने के बारे में पूछा तो आरोपी कहने लगा कि मैने कोई रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की है । इसके बाद पास में खडे परिवादी श्री सुखराम ने कहा कि बाबू जी झूंठ बोल रहे हैं मैने समाज कल्याण विभाग में दिव्यांगजन स्कूटी योजना में करीब चार महीने पहले आवेदन किया था, मुझे समाज कल्याण से सरकारी योजना के अन्तर्गत ट्राई स्कूटी मिली थी स्कूटी के कागजात मुझे धौलपुर समाज कल्याण विभाग से प्राप्त नही हुये थे, समाज कल्याण विभाग धौलपुर में पदस्थापित श्री अभिषेक शर्मा कनिष्ठ सहायक व श्री शैलेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक स्कूटी के कागजात देने की एवज में 2000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे थे, पॉच सौ रूपये मुझसे श्री अभिषेक शर्मा, बाबूजी ने पूर्व में प्राप्त कर लिये थे उक्त रिश्वत मांग की शिकायत मैने आपको लिखित में कि थी उक्त शिकायत पर आप द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन कराया गया था जिसमें श्री शैलेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक व श्री अभिषेक शर्मा, कनिष्ठ सहायक द्वारा 1500/-रूपये रिश्वत मांगी गई थी उक्त रिश्वत मांग के अनुसरण में आज श्री शैलेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक अभी मुझे 1500 रू रिश्वत राशि इ्ंईशारा कर अपनी टेबिल पर रखी डायरी में रखवाये गये है इस संबंध में आरोपी से पूछा तो उसने बताया कि मैं अप्रैल वर्ष 2023 से कार्यालय समाज कल्याण विभाग धौलपुर में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापित हूं । दिनाक 11.03.2025 को श्री सुखराम मेरे पास आया था जिसने मुझे बताया था कि समाज कल्याण विभाग से सरकारी योजना के अन्तर्गत मिली ट्राई स्कूटी के कागजात देने की कहा था व मैने व अभिषेक शर्मा, कनिष्ठ सहायक ने सुखराम से 1500/-रूपये रिश्वत के तौर पर मांग लिये थे श्री सुखराम मुझसे रूपये लाने की कहकर चला गया था। आज दिनांक 25.03.2025 को श्री सुखराम मेरे पास समाज कल्याण सरकारी योजना के अन्तर्गत मिली ट्राई स्कूटी के कागजात लेने के लिए आया था, जिस पर मैने उससे ट्राई स्कूटी के कागजात देने के बदले रिश्वत राशि 1500/-रूपये मैने मेरी टेबिल पर रखी मेरी व्यक्तिगत डायरी में ईशारा करके रखवा लिये थे व हमने उसी समय श्री सुखराम को समाज कल्याण सरकारी योजना के अन्तर्गत मिली ट्राई स्कूटी के कागजात बीमा व बिल की छायाप्रति दे दिये थे उसी समय आप लोग आ गये। आरोपी के बताये अनुसार टेबिल पर रखी व्यक्तिगत डायरी को स्वतंत्र गवाह श्री दानवीर सिह सहायक प्रशासनिक अधिकारी से खुलवाया गया तो उसमे एक जगह पर पॉच-पॉच सौ रूपये के कुल 03 नोट कुल कीमत 1500/-रूपये होना पाया गया नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी नोट से मिलान कराया गया तो उक्त नोट वही नोट होना पाये गये जो परिवादी द्वारा फर्द पेशकशी नोट में दिये गये थे। नोटो का विवरण निम्न प्रकार हैः- 01. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 PE 208321, 02. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 NG 181341, 03. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 LS 234944 । उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकसी से स्वतन्त्र गवाहान से पुनः करवाये जाने पर नोटो के नम्बर हूबहू पाये गये। सभी नोटो को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी शैलेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक की टेबिल पर रखी व्यक्तिगत डायरी के बीच में रखी हुई रिश्वत राशि बरामदगी स्थान डायरी के पेजो को अलग-अलग गीला रूई का फोहा लिया जाकर उक्त व्यक्तिगत डायरी के बायी पेज से गीले रूई के फोहा को रगडकर टेªप बॉक्स मे से एक डिस्पोजल गिलास निकाल कर उसे अच्छी तरह साफ कर उसमें साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में गीले रूई के फोहा को धोया गया तो पानी का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाया तो सभी ने पानी का रंग गुलाबी होना बताया इस पर उक्त पानी को दो कांच की शीशीयों में भरकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क DL-1 व DL-2 अंकित कर सील्ड मोहर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। रूई के फोहा को सुखाया जाकर एक पॉलीथीन की थैली में रखकर पुनः एक कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क RL अंकित किया जिस पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी शैलेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक की टेबिल पर रखी व्यक्तिगत डायरी दायी पेज से

गीले रूई के फोहा को रगडकर टे॰प बॉक्स मे से एक डिस्पोजल गिलास निकाल कर उसे अच्छी तरह साफ कर उसमें साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में गीले रूई के फोहा को धोया गया तो पानी का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाया तो सभी ने पानी का रंग गुलाबी होना बताया इस पर उक्त पानी को दो कांच की शीशीयों में भरकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क DR-1 व DR-2 अंकित कर सील्ड मोहर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। रूई के फोहा को सुखाया जाकर एक पॉलीथीन की थैली में रखकर पुनः एक कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क RR अंकित किया जिस पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि को हाथो में प्राप्त नही किया जाकर अपनी कार्य करने की टेबिल पर रखी व्यक्तिगत डायरी में रखवाया गया था इसलिए आरोपीगण के हाथ धुलाई नही कराई गई। टे॰प कार्यवाही में काम लिये गये समस्त डिस्पोजल गिलासों को मौके पर ही नष्ट किया गया। डायरी के बीच में अन्य स्थान पर कुछ और रकम रखा होना पाया गया जिसे स्वतंत्र गवाह श्री दानवीर सिह सहायक प्रशासनिक अधिकारी से उक्त रकम की गिनती कराई गई तो पॉच-पॉच सौ के कुल पन्द्रह नोट कीमत 7500/- रूपये होना पाया गया जिसके संबंध में आरोपीगण से पूछा गया तो कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया प्रथम दृष्ट्या उक्त राशि कार्यालय में अन्य व्यक्तियो के कार्यो को करने की एवज में रिश्वत के रूप में प्राप्त किया जाना प्रतीत होता है उक्त संदिग्ध राशि को एक लिफाफे में रखा जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण तैयार किया जावेगा। उक्त कार्यवाही की विडियो ग्राफी विभागीय विडियो कैमरा से जरिये श्री योगेश सिह कानि. 88 के कराई गई जिसकी फर्द विडियो ग्राफी पृथक से तैयार की जावेगी, आरोपीगण श्री शैलेन्द्र सिह पुत्र श्री धर्म सिह जाति ठाकुर उम्र 33 साल निवासी जगदम्बा कॉलोनी सैपऊ पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक समाज कल्याण विभाग धौलपुर व श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री गोविन्द शर्मा उम्र 39 साल निवासी बजरिया रोड पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल कनिष्ठ सहायक समाज कल्याण विभाग धौलपुर द्वारा परिवादी श्री सुखराम से समाज कल्याण विभाग में दिव्यांगजन स्कूटी योजना में करीब चार महीने पहले आवेदन किया था, समाज कल्याण से सरकारी योजना के अन्तर्गत ट्राई स्कूटी मिली थी स्कूटी के कागजात देने की एवज में 2000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं उक्त मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 25.03.2025 को रिश्वती राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के कुल 03 (तीन) नोट कुल कीमत 1500/-(पन्द्रह सौ) रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आना पाया जाता है। फर्द जप्ती व बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 03.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सुखराम मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत प्राप्त स्कूटी से संबंधित पत्रावली व स्कूटी का बीमा व बिल आरोपीगण के कब्जे से प्राप्त की गई जिसका अवलोकन किया गया तो पत्रावली पेज 01 लगायत 29 तक है जिसकी कार्यालय में छायाप्रति कराई जाकर श्री देवेन्द्र सिह जांगल जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी धौलपुर से प्रमाणित कराई जाकर कब्जा एसीबी ली गई मूल पत्रावली व बिल व बीमा परिवादी के वैध काम को समय पर किये जाने की हिदायत कर सुपुर्द की गई। फर्द जप्ती रिकॉर्ड पत्रावली स्कूटी वितरण व स्कूटी कागजात पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 03.30 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहन के समक्ष परिवादी श्री सुखराम मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत प्राप्त स्कूटी की कागजात दिये जाने की एवज में आरोपीगण श्री शैलेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक व श्री अभिषेक शर्मा, कनिष्ठ सहायक द्वारा प्राप्त की गई रिश्वत राशि रखवाने हेतु कार्य में ली गई श्री शैलेन्द्र सिह की व्यक्तिगत डायरी जिसमें से रिश्वत राशि 1500/-रूपये व अन्य संदिग्ध राशि 7500/-रूपये बरामद हुई को बतौर वजह सबूत जप्त किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। विवरण डायरीः-एक डायरी जिसके प्रथम पृष्ठ पर समाज कल्याण विभाग धौलपुर व Shailendra singh chauhan senior assistant (sjed) [redacted] पेन से लिखा हुआ है, जो आरोपी शैलेन्द्र सिह स्वंय की हस्तलिखित होना बताया डायरी मे पृष्ठ के अलावा कुल 1 लगायत 124 तक पेज है जिसमें पेज संख्या 118 व 119 के मध्य रिश्वत राशि रखी होना पाया गया। पेज सख्या 118 पर Contact list [redacted] रोडवेज ड्राईवर परूआ व पेज संख्या 119 पर 1(3200/4), (450/15) लिखा हुआ है उक्त पेजो से गीले रूई के फोहा से धोवन लिया जाकर कार्यवाही की गई उक्त पेजो पर धोवन के स्थान को पेन से गोला किया जाकर चिन्हित किया जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराये गये व डायरी को प्रथम पृष्ठ व अन्तिम पृष्ठ पर भी संबंधितो के हस्ताक्षर कराये गये। पेज संख्या 66 व 67 के मध्य संदिग्ध राशि 7500/- रखी हुई मिली जिस पर भी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये । उक्त डायरी को आरोपी श्री शैलेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक ने स्वंय की व्यक्तिगत डायरी होना बताया, डायरी में व्यक्तिगत व विभागीय विवरण अंकित होना पाया गया। डायरी को बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया जाकर सील मोहर कर मार्क D दिया गया। फर्द जप्ती व्यक्तिगत डायरी पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 03.50 पी.एम पर विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को लैपटॉप कम्प्यूटर में कनेक्ट किया जाकर टेबिल स्पीकर की मदद से विभागीय

डिजीटल वाईस रिकार्डर में वक्त रिश्वत राशि लेन-देन रिकार्ड वार्ता जिसकी रिकॉडिंग विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में की गई जिसे विभागीय लैपटॉप कम्प्यूटर के टेबिल स्पीकर से कनेक्ट किया जाकर वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता को परिवादी श्री सुखराम व गवाहान श्री दानवीर सिह सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री रविन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक की उपस्थिति में टेबिल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ-पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट वार्ता एवं शुद्ध हिन्दी रूपान्तरण तैयार की गई तथा उक्त वार्ता की मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय हेतु व तीन सीडीयां क्रमशः- दो मुलजिम प्रति एवं एक आईओ प्रति तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड व दो मुलजिम सीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा एसीबी लिया जाकर मूल मैमोरी कार्ड को मार्क M-1 व डब सीडीयों पर मार्क B अंकित किया, रिकॉर्ड वार्ता की हैश वैल्यु निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा आईओ प्रति सीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। फर्द पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 05.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपीगण श्री शैलेन्द्र सिह पुत्र श्री धर्म सिह जाति ठाकुर उम्र 33 साल निवासी जगदम्बा कॉलोनी सैपऊ पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक समाज कल्याण विभाग धौलपुर व श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री गोविन्द शर्मा उम्र 39 साल निवासी बजरिया रोड पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल कनिष्ठ सहायक समाज कल्याण विभाग धौलपुर की वक्त बरामदगी रिश्वती राशि व बरामदगी स्थल कार्य करने की टेबिल पर रखी व्यक्तिगत डायरी के पेजो की रूई के फोहा से धोवन की कार्यवाही की विडियोग्राफी जरिये श्री योगेश सिह कानि. 88 द्वारा विभागीय विडियो कैमरा द्वारा करवाई गई थी, विडियो कैमरा को कम्प्यूटर लैपटॉप में कनेक्ट किया जाकर विडियोग्राफी की पैन ड्राईव में कॉपी कर मार्क P अंकित कर पैन ड्राईव को सफेद थैली में रखकर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर सील मोहर कर हैश वैल्यू निकाल कर संबंधितो के हस्ताक्षर कर शामिल पत्रावली की गई थी। वजह सबूत सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील जिस पर एएसपी एसीबी धौलपुर (42) लिखा हुआ है। फर्द जप्ती कॉपी पैन ड्राईव बरामदगी रिश्वती राशि बरामदगी स्थल कार्य करने की टेबिल पर रखी व्यक्तिगत डायरी के पेजो की रूई के फोहा से धोवन की कार्यवाही की विडियोग्राफी पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 05.30 पी. एम पर स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री सुखराम के समक्ष उक्त टे्प कार्यवाही में आरोपीगण श्री शैलेन्द्र सिह पुत्र श्री धर्म सिह जाति ठाकुर उम्र 33 साल निवासी जगदम्बा कॉलोनी सैपऊ पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक समाज कल्याण विभाग धौलपुर व श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री गोविन्द शर्मा उम्र 39 साल निवासी बजरिया रोड पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल कनिष्ठ सहायक समाज कल्याण विभाग धौलपुर व अन्य की आवाज की पहचान हेतु आई ओ सी.डी में रिकार्ड रिश्वत मॉग सत्यापन वार्ता, वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता को लैपटॉप कम्प्यूटर से कनेक्ट कर टेबिल स्पीकर की मदद से चलाया जाकर श्री मनीष मीना कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण विभाग धौलपुर को सुनाई जाकर पहचान कराई गई तो श्री मनीष मीना कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण विभाग धौलपुर ने उक्त वार्ता में से दो आवाजो को पहचान कर आरोपी श्री शैलेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक व श्री अभिषेक शर्मा कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण विभाग धौलपुर की होना बताया व अन्य आवाजो को पहचानने से मना किया। फर्द आवाज पहचान पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 06.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री शैलेन्द्र सिह पुत्र श्री धर्म सिह जाति ठाकुर उम्र 33 साल निवासी जगदम्बा कॉलोनी सैपऊ पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक समाज कल्याण विभाग धौलपुर को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पद व अधिकारों एवं समस्त कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाते हुए परिवादी श्री सुखराम से समाज कल्याण विभाग में दिव्यांगजन स्कूटी योजना में करीब चार महीने पहले आवेदन किया था, समाज कल्याण से सरकारी योजना के अन्तर्गत ट्राई स्कूटी मिली थी स्कूटी के कागजात देने की एवज में 2000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं उक्त मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 25.03.2025 को राशि रिश्वती भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के कुल 03 (तीन) नोट कुल कीमत 1500/-(पन्द्रह सौ) रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने एवं आरोपीगण के कब्जे से रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध पाये जाने पर आरोपी को उक्त जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री दानवीर सिह सहायक प्रशासनिक अधिकारी से लिवायी गई तो पहने हुए कपडों के अलावा एक मोबाईल फोन विवो कम्पनी जिसका पासवर्ड 9079 है जिसमें एक एयरटेल कम्पनी सिम जिसका नम्बर [redacted] है व आई.एम.ई.आई. नम्बर [redacted], नम्बर [redacted] है जिसको फ्लाईट मोड पर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उनके पिताजी श्री धर्म सिह को मोबाईल नम्ब[redacted]र दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। चैक लिस्ट अन्तर्गत धारा 41(1)(ख)(2) बीएनएनएस 2023 पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 06.30 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री गोविन्द शर्मा उम्र 39 साल निवासी बजरिया रोड पुलिस थाना निहालगंज जिला

धौलपुर हाल कनिष्ठ सहायक समाज कल्याण विभाग धौलपुर को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पद व अधिकारों एवं समस्त कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाते हुए परिवादी श्री सुखराम से समाज कल्याण विभाग में दिव्यांगजन स्कूटी योजना मे मिली स्कूटी के कागजात देने की एवज में 2000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं उक्त मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 25.03.2025 को राशि रिश्वती भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के कुल 03 (तीन) नोट कुल कीमत 1500/-(पन्द्रह सौ) रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने एवं आरोपीगण के कब्जे से रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध पाये जाने पर आरोपी को उक्त जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री दानवीर सिह सहायक प्रशासनिक अधिकारी से लिवायी गई तो पहने हुए कपडों के अलावा एक मोबाईल फोन विवो कम्पनी का जिसमें एक जियो कम्पनी सिम जिसका नम्बर [redacted]है, जिसका पासवर्ड 1234 है व आई.एम.ई.आई. नम्बर [redacted] व [redacted] है जिसको फ्लाईट मोड पर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उनके पिताजी श्री गोविन्द शर्मा [redacted]मोबाईल नम्बर पर दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। चैक लिस्ट अन्तर्गत धारा 41(1)(ख)(2) बीएनएनएस 2023 पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई । तत्पश्चात समय 06.40 पी.एम पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशानदेही पर स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्षा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 07.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री सुखराम पुत्र श्री गोकुल सिह जाति कुशवाह उम्र 29 साल निवासी कौलुआ का पुरा पुलिस थाना कौलारी जिला धौलपुर के समक्ष ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील जिस पर एएसपी एसीबी धौलपुर (42) लिखा हुआ है, उक्त पीतल की सील को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री दानवीर सिह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को सुपुर्द की गई एवं आवश्यकता होने पर न्यायालय में पेश करने हेतु मुनासिब हिदायत दी गई। फर्द करने नष्ट नमूना सील पीतल पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 07.10 पी.एम पर आरोपीगण श्री शैलेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक व श्री अभिषेक शर्मा कनिष्ठ सहायक का सेवा विवरण निर्धारित प्रोफार्मा में कार्यालय जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण विभाग धौलपुर से प्राप्त हुआ जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 07.15 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री शैलेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक व श्री अभिषेक शर्मा कनिष्ठ सहायक मय टे्प टीम मय सील्ड शुदा आर्टिकल्स, टे्प बॉक्स मय जप्त शुदा रिश्वती राशि व संदिग्ध राशि जप्त शुदा डायरी, जामा तलाशी में मिले मोबाईल फोन मय लेपटॉप, प्रिन्टर, की-बोर्ड, माउस, टेबिल स्पीकर मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर, विभागीय विडियो कैमरा मय फर्दात एवं पत्रावली, आदि के बाद कार्यवाही मौके से एसीबी चौकी धौलपुर के लिए रवाना हुआ स्वतंत्र गवाहन व परिवादी को मौके से बाद कार्यवाही रूखस्त किया गया। इसके बाद समय 07.30 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री शैलेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक व श्री अभिषेक शर्मा कनिष्ठ सहायक मय टे्प टीम मय सील्ड शुदा आर्टिकल्स, टे्प बॉक्स मय जप्त शुदा रिश्वती राशि व संदिग्ध राशि, जप्त शुदा डायरी, जामा तलाशी में मिले मोबाईल फोन मय लेपटॉप, प्रिन्टर, की-बोर्ड, माउस, टेबिल स्पीकर मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर, विभागीय विडियो कैमरा मय फर्दात एवं पत्रावली आदि के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा एसीबी चौकी धौलपुर पहुंचा जहां गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री शैलेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक व श्री अभिषेक शर्मा कनिष्ठ सहायक को जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 07.40 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने टे्प कार्यवाही में जप्तशुदा रिश्वती राशि व संदिग्ध राशि धोवन की शील्ड शीशीयां, शील्ड रूई के फोहा के पैकिट, जप्त शुदा डायरी, जामा तलाशी में मिले मोबाईल फोन वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता का शील्ड शुदा मैमोरी कार्ड, व शील्ड शदा सीडी, टे्प बॉक्स आदि को मालखाना प्रभारी श्रीकान्त हैड कानि. 72 को दुरूस्त हालात में सुपुर्द कर हिदायत दी कि मालखाना में रखा जाना सुनिश्चित करे व मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज किया जाना भी सुनिश्चित करने की मुनासिव हिदायत की गई। इसके बाद समय 08.15 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने इन्द्रजीत हैड कानि. 71 व श्री मनोज कुमार कानि. 179 मय सरकारी वाहन मय चालक तहरीर दी जाकर हिदायत दी गई आरोपीगण श्री शैलेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक व श्री अभिषेक शर्मा, कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण विभाग धौलपुर का सामान्य चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर रिपोर्ट प्राप्त कर एवं आरोपीगण को पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर में बन्द हवालात कराया जाकर पालना से अवगत कराये जाने की हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद समय 10.20 पी.एम पर श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 व श्री मनोज कुमार कानि. 179 मय सरकारी वाहन मय चालक फिकरावाला का रवाना शुदा वापस एसीबी चौकी धौलपुर आया दर्ज कराया कि एसीबी चौकी धौलपुर से रवाना होकर सामान्य चिकित्सालय धौलपुर पहुंचा जहां तहरीर दी जाकर आरोपीगण श्री शैलेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक व श्री अभिषेक शर्मा कनिष्ठ सहायक का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई सामान्य चिकित्सालय धौलपुर से रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर पहुंचा जहां तहरीर दी जाकर आरोपीगण श्री शैलेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक व

श्री अभिषेक शर्मा कनिष्ठ सहायक को बन्द हवालात कराया जाकर रिपोर्ट पहरा सन्तरी किया पुलिस थाना कोतवाली से रवाना होकर वापस एसीबी चौकी धौलपुर आया आरोपीगण का स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। सम्पूर्ण टेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपीगण 01.श्री शैलेन्द्र सिह पुत्र श्री धर्म सिह जाति ठाकुर उम्र 33 साल निवासी जगदम्बा कॉलोनी सैपऊ पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक समाज कल्याण विभाग धौलपुर 02. श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री गोविन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 39 साल निवासी बजरिया रोड पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल कनिष्ठ सहायक समाज कल्याण विभाग धौलपुर द्वारा परिवादी श्री सुखराम से समाज कल्याण विभाग में दिव्यांगजन स्कूटी योजना में करीब चार महीने पहले आवेदन किया था, समाज कल्याण से सरकारी योजना के अन्तर्गत ट्राई स्कूटी मिली थी स्कूटी के कागजात देने की एवज में 2000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं उक्त मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 25.03.2025 को राशि रिश्वती भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के कुल 03 (तीन) नोट कुल कीमत 1500/-(पन्द्रह सौ) रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आना पाया जाता है। आरोपी श्री शैलेन्द्र सिह की व्यक्तिगत डायरी में मिले 7500/-रू संदिग्ध राशि के बारे में विस्तृत अनुसंधान किया जाना आवष्यक है, उक्त राशि के संबंध में आरोपी कोई संतोषप्रद जवाब नही दे रहा है अतः उक्त राशि कहां से प्राप्त हुई इस संबंध में स्थिति अनुसंधान से स्पष्ट हो सकेगी। आरोपीगण श्री शैलेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक व श्री अभिषेक शर्मा कनिष्ठ सहायक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर प्रेषित की गई। (सुरेन्द्र सिह) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर......................कार्यवाही पुलिस................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र सिह,उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 में आरोपी 1- श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री धर्मसिंह जाति ठाकुर उम्र 33 साल निवासी जगदम्बा कॉलोनी सैंपऊ पुलिस थाना सैंपऊ जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक समाज कल्याण विभाग जिला धौलपुर 2. श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री गोविन्द शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 29 साल निवासी बजरिया रोड पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल कनिष्ठ सहायक समाज कल्याण विभाग जिला धौलपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विवेक सोनी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सवाईं माधोपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 401 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 430-33 दिनांक 27.03.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर, 2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** VIVEK SONI **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 27/03/2025 16:

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	20/06/1992				
2	Male	08/03/1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)